


न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : 208 फर्दीया
ज. 51/2016

विरोधी/विरुद्ध नाम शिवराम

कार्यवाही / आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.4.21	<p>पञ्जावली केस दुई। आज्ञा दिलाई गई वकील अपीलान्त उप०। वेलेफार सटफार उपस्थित। रेस्पोंडेंट सं०। असालतन/वसालतन उपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अपीलान्त व वेलेफार सटफार को मुताजाया। बहस पर गौर क्रिया व पञ्जावली का अपलोकन क्रिया उपजा/पञ्जावली में उपलब्ध अपीलान्त द्वारा दापर की गई एस०बी० सिविल रिट निवेदन संख्या 5232/2017 उक्तानी सुलेन्द्रकुमार दापर का उक्त राजस्थान राज कौ० में दि० 24.7.2020 पत्रा संशोधित निर्णय दिनांक 09.11.2020 के अपलोकन से जाहिर होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट प्राप्ति का स्वीकार क्रिया उपजा है और रेस्पोंडेंट्स को प्राप्तिकर्ता द्वारा जरिरे रजिस्टर्ड विरुद्ध पत्रा दिनांक 25-7-2016 एवं 23.08.2016 द्वारा कप की गई आदेशीका गतान्त (कौ०) निर्णय की प्रतिलिपि प्रति प्राप्त करने के चारफारों में एकोले के निर्देश दिए गए हैं अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गतान्त (कौ०) एकोले के निर्देश दिए गए हैं के फलस्वरूप अपील अपीलान्त प्रसप्तरीन (Instructions) संज्ञित के फलस्वरूप अस्सीप राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.7.2020 पत्रा संशोधित दिनांक 09.11.2020 अनुसार अपील का निस्तारण क्रिया जाता है। क्रिया से इमलाह मुताजा उपजा।</p>	


 ज. क. चौधरी (द्वितीय)
 जयपुर